

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/68
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00061
CICOM/R/2018/00035

दिनांक: 16.03.2018

अपीलकर्ता : सुश्री नीरजा,
द्वारा- श्री शफीक अहमद, एडवोकेट,
न्यू लायर्स चैम्बर सं. 404,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
मो0 - 9968876357.

निर्णय की तारीख: 16.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	86/27.02.2018 (112782/26.02.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग में कार्यरत श्री ए. के. माधरा, कंसलटेंट से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 03.01.2018 के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2018 को पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/00035 के माध्यम से प्रेषित की गई सूचना विलुप्त तथात्मक है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

